(33)

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492 002
–:: आदेश ::–

नया रायपुर, दिनांक 17/04/2015

एफ–13/3/NBM/2015/14–2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय आदेश कमांक 8235/एफ–13/01/2011–12/14–2 दिनांक 01.12.2014 को अधिकमित करते हुए भारत सरकार के द्वारा **Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)** वर्ष 2014 की नवीन गाईड लाईन के **पृष्ठ क. 9 के बिन्दु क. 4.6** के अनुकम में राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं नेशनल बम्बू मिशन हेतु निम्नानुसार **"राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (SLEC)"** का पुनर्गठन करती है :–

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रमुख सचिव कृषि	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग	सदस्य
3.	सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
4.	सचिव, छ.ग. शासन, अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग	सदस्य
5.	संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
6.	कृषक उत्पादक संघो के एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	संचालक उद्यानिकी एवं राज्य बागवानी मिशन, छ.ग. रायपुर	समन्वयक
9.	मिशन संचालक, नेशनल बम्बू मिशन	सह समन्वयक

Term of Reference :-

12. मिशन के लक्ष्यों और उद्धेश्यों के अनुरुप रणनीति/भावी योजनाएं तथा राज्य स्तरीय वार्षिक कार्ययोजना राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, तकनीकी सहयोग समूहों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गहन समन्वय से तैयार करना एवं कियान्वयन करना।

13. परियोजना आधारित प्रस्ताव जिनके लिए ईसी/ईएमसी का अनुमोदन अनिवार्य है, उन्हें आगे बढ़ाना और खुद की अधिकार शक्ति के दायरे में आने वाली परियोजनाओं को मंजूरी देना।

14. आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करना तथा खास क्षेत्रो/बस्तियों (जिला, उपजिला अथवा कई जिलो) का इस नजरिये से व्यवहारिक अध्ययन करना कि वहां बागवानी/बांस उत्पादन का स्तर क्या है, उत्पादन क्षमता और मांग कितनी है तथा उस अनुरुप किस तरह की सहायता की आवश्यकता है। इसी तरह का अध्ययन कार्यकम के अन्य अवयवों में किया जाए।

15. मिशन के कियाकलापों के लिए राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण, राज्य सरकारों और अन्य स्रोतो से धनराशि प्राप्त करना, खातो को दुरस्त रखना और संबधित एजेंसियों के समक्ष उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

16. समानता आधारित आर्थिकी को हासिल करने के लिये एफपीओ/एफपीसी के गठन की प्रकिया की समीक्षा करना और वित्तीय संस्थाओं के जरिये किसानों को ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये माहौल तैयार करना।

17. कार्यकम लागू करने वाली संस्थाओं को राशि जारी करना तथा कार्यकमों का निरीक्षण, निगरानी और कियान्वयन की समीक्षा करना।

कमशः ...2...

18. राज्यों में किसानों, समुदायों, उत्पादक संगठनों, स्वयंसेवी समूहों, राजकीय संस्थानों और अन्य स्वतंत्र इकाईयों के माध्यम से कार्यक्रम संबंधी कियाकलापों की देखभाल करना और मदद करना।
19. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले अन्य संस्थानों की सहायता से राज्य स्तर पर सभी आकांक्षी समूहों/संगठनों के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
20. कृषि एवं सहकारिता विभाग को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना। साथ ही हर पांचवे महीने इसे मिशन की वेबसाईट www.nhm.tmne.gov.nic.in and www.nbm.nic.in पर अपलोड करना। यह कार्य जिला एवं राज्य दोनो स्तर पर किया जाएगा।
21. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से युक्त सूचना प्रबंधन तकनीक (आईटीसी) को हार्टनेट के जरिये जमीनी स्तर पर लागू करना। इसके लिये प्रत्येक राज्य अपनी अलग वेबसाईट तैयार करना।
22. राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के वार्षिक एक्शन प्लान का अनुमोदन करना, इसके कियान्वयन पर प्रभावी नियंत्रण रखना एवं समय–समय पर पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना।
23. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के सरल क. 7 हेतु प्रतिनिधि का नामांकन संचालक उद्यानिकी से प्राप्त किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17.4.15

(प्रदीप कुमार दवे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

पृष्ठां.क. 271 /एफ–13/3/NBM/2015/14–2 नया रायपुर, दिनांक 17/04/2015

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
4. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग।
5. सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
6. सचिव, छ.ग. शासन, अनुसूचित जाति जनजातीय विकास विभाग।
7. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग., रायपुर।
8. मिशन संचालक, नेशनल बम्बू मिशन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर
9. संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर।

17.4.15

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

O/C